संख्या- 4/1124/सं0वि0क0नि0-7-2014/700(223)/13

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 27 अक्टूबर,2014

विषय- स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा निर्गत ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्रों में लिपिकीय त्रुटि के संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-882/सं0वि0क0नि0-7/2012-700(97)/08 टी0 सी0 दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 जिसके द्वारा स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के प्राधिकृत संगह केन्द्रों द्वारा की गयी लिपिकीय त्रुटि में कतिपय प्रतिबंधों के साथ सुधार अनुमन्य किया है। शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि उपरोक्त प्रतिबंधों से लिपिकीय त्रुटियों के संशोधन में बहुधा अत्यधिक विलम्ब हो जाता है। जिससे जनसामान्य को अत्यंत असुविधा का सामना करना पड़ता है। तत्क्रम में महानिरीक्षक, निबन्धन एवं स्टाक् होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डियां के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 29-09-2014 को संपन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्रों में हुई लिपिकीय त्रुटि के संशोधन के लिए पूर्व आदेशों को निम्न सीमा तक अवक्रमित करते हुए निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

1- स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के संग्रह केन्द्रों द्वारा निर्गत ई-स्टाम्प में लिपिकीय त्रुटि के संज्ञान में आने पर तददिनांक को अथवा उसके अगले कार्यदिवस में स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के संग्रह केन्द्रों के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अपने स्तर पर ही संशोधन किया जा सकेगा ।

2- ई-स्टाम्प के निर्गमन के अगले कार्य दिवस के बाद किन्तु 30 दिवसों के अन्दर ई-स्टाम्प निर्गत करने वाले स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के संग्रह केन्द्र के प्राधिकृत अधिकारी की आख्या पर संबंधित उप-निबन्धक की संस्तुति के आधार

http://gsansadesh.up.nic.in

पर सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन द्वारा लिपिकीय त्रुटि के संशोधन का अनुमोदन किया जा सकेगा। यही प्रक्रिया ई-स्टाम्प पत्रों के कटे-फटे या अप्रयोज्य होने की स्थिति

में भी अपनाई जायेगी। परन्तु प्रतिबंध यह है कि:-

(1) प्रस्तर 1 व 2 में वर्णित आधार पर संशोंधन ई-स्टाम्प के प्रयुक्त होने एवं उपनिबंधक द्वारा उसके 'लॉक' किये जाने के पूर्व ही किया जा सकेगा

एवं

(2) प्रस्तर 1 व 2 में वर्णित आधार पर संशोधन में केवल लिपिकीय त्रुटि को ही सही किया जा सकेगा तथा मूल स्टाम्प पत्र में अंकित आवश्यक विवरण में कोई ऐसा गुणात्मक परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा, जिसमें स्टाम्प की देयता प्रभावित होती हो।

3- उपरोक्त प्रकरणों में लिखत के निबन्धन के समय स्टाम्प प्रमाण-पत्र की मूल एवं संशोधित दोनों प्रति प्रस्तुत की जाएगी। शेष प्रकरणों में पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- यथोक्त तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त उप महानिरीक्षक/सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त उप निबन्धक, निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश।
3- क्षेत्रीय प्रबन्धक स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in